रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 1985/चैत्र 14, 1907
No. 157] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 1985/CHAITRA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में फाइल किया जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

सा. का. नि. 345(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा—

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1985 कहा जाएगा ।

Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publications,
Ministry of Urban Development
Civil Lines, Delhi-110

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम (क) में "मनीआर्डर" शब्दों के स्थान पर "पासपोर्ट प्राधिकारी के नाम रेखित पोस्टल आर्डर भेजा जाए" शब्द रखे जाएं ।

[सं. 6/401/62/79]

वाई. एम. तिवारी, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी :—भारत का राजपत्र, 1980 (असाधारण) भाग-2, खंड-3, उप खंड (1) में 11 दिसम्बर, 1980 को अधिसूचना सं. जी एस आर-691(ई) द्वारा प्रकाशित मूल नियम ।

इसके द्वारा संशोधित :—

(1) अधिसूचना सं. जी एस आर-50 (ई) तारीख : 7 फरवरी, 1981 ।

(2) अधिसूचना सं. जी एस आर-469 (ई) तारीख : 24 जून, 1982 ।

(3) अधिसूचना सं. जी एस आर-325 (ई) तारीख : 12 अप्रैल, 1983 ।

(4) अधिसूचना सं. जी एस आर-494 (ई) तारीख : 16 जून, 1983 ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1985

GSR 345(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 9 to the Passports Rules, 1980, for the words "money order to" the words "crossed postal order drawn in favour of the passport authority" shall be substituted.

[No. VI/401/62/79]

Y. M. TIWARI Jt. Secy. (CPV).

Controller of Publications
Govt. of India
Department of Publications
Ministry of Urban Development
Civil Lines, Delhi-110